राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 30/2019 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. छोटू लाल माली पुत्र रामनाथ माली निवासी बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा	बनाम	1. मुकेश कुमार पुत्र बद्री लाल माली निवासी बागौर तहसील माण्डल 2. ग्राम पंचायत बागोर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बागोर पंचायत समिति माण्डल 3. ग्राम पंचायत बागौर जरिये सचिव ग्राम पंचायत बागौर पंचायत समिति माण्डल जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 28/2017 उनवान छोटू लाल माली बनाम मुकेश कुमार माली एवं आदेश दिनांक 31.10.2018 रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. एवं धारा 97(3) राज.प.रा.अ.

उपस्थित –

1. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13-01-2020

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका विरूद्व निर्णय दिनांक 31.10.2018 प्रकरण सं. 28/2017 निगरानी छोटू लाल बनाम मुकेश कुमार माली के संबंध में प्रस्तुत की। जिसमें निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुन आदेश पारित किया गया कि " ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन किया गया हैं, इस कारण निगरानी स्वीकार योग्य नहीं हैं।" आराजी संख्या 2991/1, 2999/1 प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि है। इसी भूमि मे विपक्षी सं. 01 को ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया। कानून द्वारा पंचायत खातेदार की भूमि में दूसरे व्यक्ति को पटटा जारी नही कर सकती है। इस कारण प्रकरण में पूर्व आदेश का रिव्यू किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विवादग्रस्त पटटा किस भूमि का दिया गया? वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए कमिश्नर भेजकर मौके की रिपोर्ट मंगवाई जा सकती हैं। निगरानी प्रकरण में पंचायत समिति माण्डल को पक्षकार नहीं बनाया है, फिर भी निर्णय में राजस्थान राज्य को गैर निगराकार सं. 03 अंकित कर दिया गया हैं। इस कारण मामले का रिव्यू किया जाकर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उनवान सही किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। प्रकरण आदेश दिनांक 31.10.2018 से जानकारी दिनांक 18.02.2019 तक के समय को कण्डोन करने हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। न्यायालय निगरानी आदेश की कोई अपील नही होती हैं। प्रार्थी ने कोई अपील पेश नही कर रखी हैं। निवेदन हैं कि न्यायालय के निगरानी संख्या 28/2017 उनवान छोटूलाल बनाम मुकेश कुमार वगैरह निर्णय दिनांक 31.10.2018 में पारित आदेश का रिव्यू किया जाकर ग्राम पंचायत बागौर द्वारा पत्रावली संख्या 175/12–13 द्वारा संकल्प संख्या 11 दिनांक 05.08.2013 की अनुपालना में दिनांक 11.09.2017 को पटटा संख्या 27 जो विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया उसे अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.03.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुन आदेश पारित किया गया कि '' ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन किया गया हैं, इस कारण निगरानी स्वीकार योग्य नहीं हैं।'' आराजी संख्या 2991/1, 2999/1 प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि है। इसी भूमि मे विपक्षी सं. 01 को ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया। कानून द्वारा पंचायत खातेदार की भूमि में दूसरे व्यक्ति को पटटा जारी नही कर सकती है। इस कारण प्रकरण में पूर्व आदेश का रिव्यू किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विवादग्रस्त पटटा किस भूमि का दिया गया? वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए कमिश्नर भेजकर मौके की रिपोर्ट मंगवाई जा सकती हैं। निगरानी प्रकरण में पंचायत समिति माण्डल को पक्षकार नहीं बनाया है, फिर भी निर्णय में राजस्थान राज्य को गैर निगराकार सं. 03 अंकित कर दिया गया हैं। इस कारण मामले का रिव्यू किया जाकर उनवान सही किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। न्यायालय निगरानी आदेश की कोई अपील नही होती हैं। प्रार्थी ने कोई अपील पेश नही कर रखी हैं। निवेदन हैं कि न्यायालय के निगरानी संख्या 28/2017 उनवान छोटूलाल बनाम मुकेश कुमार वगैरह निर्णय दिनांक 31.10.2018 में पारित आदेश का रिव्यू किया जाकर ग्राम पंचायत बागौर द्वारा पत्रावली संख्या 175/12–13 द्वारा संकल्प संख्या 11 दिनांक 05.08.2013 की अनुपालना में दिनांक 11.09.2017 को पटटा संख्या 27 जो विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया उसे अपास्त किया जावे।

विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 आवासहीन व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत बागोर ने पत्रावली सं. 175/12–13 द्वारा संकल्प सं. 11 दिनांक 05.08.2013 की अनुपालना में ग्राम बागौर की आबादी भूमि में विपक्षी सं. 01 को दिनांक 11.09.2017 को 20 बाई 25 फीट का एक आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर विधिवत कार्यवाही कर जरिये पटटा सं. 27 प्रदान

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया था। यह भूखण्ड आबादी की आराजी नं. 2991 में स्थित हैं। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी किया गया पटटा पूर्णरूप से वैध व प्रभावी हैं। प्रार्थी/ निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सं. 28/2017 को न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2018 को निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय में कोई भी Apparent Error नहीं हैं। रिव्यू प्रार्थना पत्र का क्षैत्र/क्षैत्राधिकार अत्यन्त सीमित हैं। रिव्यू प्रार्थना पत्र में निगरानी में वर्णित तथ्यों पर पुनः कोई भी विनिश्चय नही किया जा सकता हैं। निगरानी सं. 28/2017 में न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण कर विधिवत निर्णय पारित किया था, जिसमें पारित निर्णय को रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपास्त नहीं किया जा सकता हैं। किसी भी तरह की साक्ष्य का सृजन करने के लिये या साक्ष्य एकत्र करने के लिये जब किसी वाद अपील या निगरानी में ही कमीश्नर की नियुक्ति नही की जा सकती हैं तो रिव्यू प्रार्थना पत्र में तो ऐसा सोचा भी नही जा सकता हैं क्योंकि रिव्यू का क्षैत्राधिकार अत्यन्त सीमित होता हैं। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के खाते की तथाकथित किसी भी आराजी सं. 2991/1 या 2999/1 में गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड का पटटा नहीं दिया है बल्कि आबादी की आराजी नं. 2991 में ही पटटा दिया था। प्रार्थी द्वारा पेश उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र बेरून मियाद होने से निरस्तनीय हैं, क्योंकि रिव्यू प्रार्थना पत्र मूल निर्णय के एक माह की अवधि में ही पेश किया जा सकता हैं, किन्तु यह रिव्यू प्रार्थना पत्र करीब पांच माह बाद पेश किया गया हैं। प्रार्थी की उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. व धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से निरस्तनीय हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त कराया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – ''यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रकियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई. आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। निगरानी सं. 28/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2018 में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया जाकर निर्णित किया गया। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । **अतएव–**

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 28/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2018 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 28/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2018 में कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं। जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी निगरानी सं. 28/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2018 की अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 13/1/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा